बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०– स्था०1/आ०2–11/2017 153 पटना, दिनांक: 14-10-2020

कार्यालय आदेश

श्री परवेज आलम, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, नालंदा के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक–2812/गो० दिनांक–03.05.2017 द्वारा समर्पित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' एवं पत्रांक–4344/गो० दिनांक–10.07.2017 द्वारा समर्पित पूरक आरोप पत्र पर निदेशालय के का०आ०सं०–85 सहपठित ज्ञापांक–508 दिनांक–22.02.2018 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' गठित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम –17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), नालंदा को संचालन पदाधिकारी तथा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, नालंदा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। जिला पदाधिकारी, नालंदा के ज्ञापांक–6382/गो० दिनांक–29.09.2019 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता, नालंदा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करने की सूचना दी गयी जिसे निदेशालय के का०आ०सं०–293 सहपठित ज्ञापांक–2199 दिनांक–27.11.2019 द्वारा संपुष्ट किया गया । निदेशालय के का०आ०सं०–316 सहपठित ज्ञापांक–2008 दिनांक–13.09.2017 द्वारा आदेश निर्गत की तिथि से श्री परवेज आलम को निलंबित किया गया। निदेशालय के का०आ०सं०–313 सहपठित ज्ञापांक–1905 दिनांक–19.09.2018 द्वारा आदेश निर्गत की तिथि से श्री परवेज आलम को निलंबन मुक्त किया गया। । निदेशाालय के का०आ०सं०–84 सहपठित ज्ञापांक–504 दिनांक–22.02.2018 द्वारा श्री परवेज आलम के विरूद्ध परवलपुर(नालंदा) थाना कांड संख्या–78/2017 दिनांक–09.05.2017 धारा 409/04भा०द०वि० में अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी। निदेशाालय के का०आ०सं०–361 सहपठित ज्ञापांक–2477 दिनांक–12.12.2018 द्वारा श्री परवेज आलम के विरूद्ध हरनौत(चेरो) थाना कांड संख्या–245/2016 दिनांक–05.09.2016 धारा 406/409/420/120(बी) भा०द०वि० में अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

2. श्री परवेज आलम के विरूद्ध आरोप पत्र के द्वितीय भाग –अवचार या कदाचार के लांछनों का सार में निम्न आरोप गठित किये गये :–

" i. दिनांक 24.06.2016 को श्री राम राईस मील, एकसारा, वेन से सी०एम०आर० का चावल लेकर 03 ट्रक जिसकी ट्रक संख्या बी०आर०21 जे० 6489, बी०आर०21 जे०4389 एवं बी०आर०21 जी० 9289 चालक का नाम क्रमशः श्री विपिन कुमार, श्री मुकेश कुमार तथा श्री विजय कुमार है। एस०एफ०सी गोदाम, गिरियक के लिए चला। ए०जी०एम० –सह–प्रखंड कृषि पदाधिकारी, वेन के कथनानुसार तीनों ट्रकों पद लदे हुए सी०एम०आर० चावल का वजन परवलपुर स्थित श्री कृष्णदेव कम्प्युटराईज धर्मकांटा, परवलपुर से कराने के पश्चात् राज्य खाद्य निगम गोदाम, गिरियक उतारने जाना था। इस बीच स्थानीय थाना को सूचना मिली कि वेन मोड़, परवलपुर में ट्रक से कालाबाजारी के लिए चावल उतारा जा रहा है। प्रभारी थानाध्यक्ष, परवलपुर द्वारा तीनों ट्रकों को जब्त कर लिया गया तथा उसकी सूचना 10.00 बजे रात्रि को उन्हें दिया गया।

श्री संजीव कुमार, आई०टी०मैनेजर, आपूर्ति शाखा, नालंदा से प्राप्त Vehicle Track History Report के अनुसार उपर्युक्त तीनों ट्रक लगभग तीन घंटा नेशनल हाईवे 110 परवलपुर पर खड़ी रही।

" जन्म हो या मरण, जरूरी हैं पंजीकरण"

अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा ने जॉच प्रतिवेदन में लिखा है कि जब प्रभारी थानाध्यक्ष, परवलपुर द्वारा यह सूचना दी गई कि उक्त तीनों ट्रकों को चोरी के नियत से परवलपुर में रोका गया था (जैसा कि रामानुज प्रसाद, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, वेन–सह–सी०एम०आर० संग्रह केन्द्र प्रभारी, वेन द्वारा वयान दिया गया है) तो इस बिन्दु पर जिला प्रबंधक, एस०एफ०सी०, नालंदा को संज्ञान लेते हुए तत्क्षण ही प्रखंड कृषि पदाधिकारी, वेन–सह–सी०एम०आर० संग्रह केन्द्र प्रभारी, वेन को प्राथमिकी दर्ज करने का स्पष्ट आदेश दिया जाना चाहिए था तथा उसका अनुपालन सुनिश्चित करवाना चाहिए था। परन्तु ऐसा नहीं किया गया तथा तीनों सी०एम०आर० लदे ट्रकों को मुक्त करने हेतु प्रखंड कृषि पदाधिकारी, वेन–सह–सी०एम०आर० संग्रह केन्द्र प्रभारी, वेन द्वारा अनुरोध पत्र प्रभारी थानाध्यक्ष, परवलपुर को दे दिया गया एवं प्रभारी थानाध्यक्ष , परवलपुर के द्वारा तीनों ट्रकों को मुक्त कर दिया गया।

उक्त दोनों पदाधिकारियों को जानकारी थी कि वेन मोड़ पर ट्रक को रोककर एस०एफ०सी० का सी०एम०आर० उतारा गया या उतारने का प्रयास किया गया तो यह निश्चित रूप से अपराधिक मामला बनता है। संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा थाना में प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए थी, परन्तु ऐसा न कर अनुचित लाभ के लिए दोषी व्यक्तियों को किसी न किसी रूप में बचाने का प्रयास किया गया तथा जब वरीय पदाधिकारियों का दबाव पड़ा तो दिनांक 26.06.2016 को थाना में आकर Back Date से प्राथमिकी दर्ज करने का प्रतिवेदन दिया गया।

ii. सी०एम०आर० गोदाम खरूआरा की क्षमता के संबंध में पृच्छा करने पर प्रभारी लेखा पदाधिकारी श्री महेश प्रसाद एवं प्रधान सहायक श्री रामाकान्त मिश्रा द्वारा तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, श्री परवेज आलम के पत्रांक–163, दिनांक–09.02.2017 दिया गया है, जिसमें सी०एम०आर० गोदाम, खरूआरा की क्षमता 16920 क्वींटल दर्शायी गयी है।

खरूआरा गोदाम के भंडार पंजी के अवलोकन से आश्र्चयजनक तथ्य उभरकर सामने आता है कि इसके अधिकतर इंट्री में भंडारित सी०एम०आर० की मात्रा गोदाम की क्षमता 16920 क्वींटल से काफी अधिक है। यथा दिनांक–01.08.2015 को भंडार पंजी में कुल भंडारित सी०एम०आर० 62418.63 क्वींटल दर्शाया गया है, जो सी०एम०आर० गोदाम , खरूआरा के भंडारण क्षमता से 350 प्रतिशत से भी ज्यादा है। अंतिम इंट्री 02.06.2016 को 28236.40 क्वींटल है (जिसकी गबन की बात परिवादी द्वारा बताई गई है) भी भंडारण क्षमता से काफी अधिक है। उपरोक्त तथ्य बड़ी अनियमितता की ओर इंगित करता है।

तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, नालंदा श्री परवेज आलम ने अपने पत्रांक–2856 दिनांक–04.11.2015 के द्वारा निगम मुख्यालय को सूचित किया है कि मे० विकास एग्रो इंडस्ट्रीज से शत–प्रतिशत चावल प्राप्त कर ली गयी है एवं उनके यहॉ कोई बकाया नहीं है एवं उनके द्वारा समर्पित परिवहन–सह–हथालन विपत्रों के भुगतान हेतु प्रमाण पत्र भी दिया गया है, साथ ही तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, नालंदा श्री परवेज आलम ने पत्रांक–2870 दिनांक–07.11.2015 के माध्यम से निगम मुख्यालय को उसी मिल मालिक श्री शिव शक्ति राईस मिल, दीपनगर के विषय में भी सूचित किया है कि इनके द्वारा शत–प्रतिशत चावल प्राप्त कर ली गयी है और उनके यहॉ कोई बकाया नहीं है।

श्री परवेज आलम, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, नालंदा द्वारा निर्गत विमुक्ति आदेशों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जनवरी, 2016 में निर्गत विमुक्ति आदेश –R/11/AAY(11891.52 क्वींटल) पुनः जनवरी, 2016 में R/37/NFSA(4303.16 क्वींटल) का उठाव नहीं हो पाया है, जो स्पष्टतः गड़बड़ी की ओर इंगित

करता है फिर भी इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही निगम मुख्यालय को इसकी सूचना दी गई, जो इनके तथा कार्यालय के कर्मियों की सोंची समझी साजिश के तहत इस गवन में संलिप्तता की ओर इंगित करता है।

श्री परवेज आलम, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, नालंदा अपने विभागीय कार्यो के प्रति लापरवाह हैं एवं उक्त कालाबाजारी के मामले में संलिप्त पाये जाने का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

iii. आपको कई बार सप्ताहिक/मासिक बैठक में गोदामों का निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं प्रशासनिक नियंत्रण रखने का निदेश दिया गया फिर भी आदेश का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके कारण खाद्यान्न अधिप्राप्ति में इतनी भारी मात्रा में कालाबाजारी करने का मामला उजागर हुआ, जो आपके कर्त्तव्य एवं लापरवाही का घोतक है।

इससे स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा विभागीय कार्य एवं कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती गयी है, आपका यह कृत बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3(i) (ii) का स्पष्ट उल्लंघन है।"

3. अपर समाहर्त्ता, नालंदा–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–1315/रा० दिनांक–08.06.2020 द्वारा श्री परवेज आलम के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में समर्पित संचालन प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी ने निष्कर्ष दिया है कि :–

" आरोप संख्या–01 – आरोपी कर्मियों के स्पष्टीकरण, उप विकास आयुक्त, नालंदा से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन, अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, हिलसा से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एवं उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य के गहन अध्ययन के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि तीनों ट्रक संख्या–BR21J6489, BR21J4389 एवं BR21G9289 के द्वारा सी०एम०आर०, एकसारा गोदाम, बेन से चावल राज्य खाद्य निगम के गिरियक गोदाम के लिए भेजा जा रहा था परन्तु ट्रक ड्राईवर द्वारा बेन मोड़ पर श्रवण महतो, गल्ला व्यापारी की दुकान के पास ट्रक रोक कर 15–16 बोरा चावल ट्रक से उतारा जाना इस बात को स्पष्ट करता है कि उक्त चावल की कालाबाजारी करने की नियत से उतारा गया था। उसके बाद भी संबंधित पदाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों द्वारा वरीय पदाधिकारियों को किसी प्रकार की सूचना दिये बिना थाना लाकर उसे पुनः छोड़ देना और फिर बाद में वरीय पदाधिकारियों के द्वारा दबाव पड़ने पर प्राथमिकी दर्ज कराना इस बात को इंगित करता है कि इस कार्य में तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, नालंदा, श्री परवेज आलम, सी०एम०आर० गोदाम प्रभारी , बेन प्रखंड–सह–प्रखंड कृषि पदाधिकारी, बेन श्री रामानुज प्रसाद एवं थाना की पुलिस पदाधिकारियों की मिली भगत थी और अपने–अपने निजी स्वार्थ होने के उपरांत वरीय पदाधिकारियों को किसी प्रकार की सूचना दिये बिना संबंधित ट्रक एवं ड्राईवर को छोड़ दिया जाना कार्य के प्रति संवेदनहीन एवं लापरवाही को उजागर करता है। इस प्रकार आरोप सही प्रतीत होता है।

आरोप संख्या–02 – गोदाम की क्षमता 16920 क्विंटल है। परंतु उक्त क्षमता से 350% अधिक खाद्यान्न भंडारित दिखाया जाना जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम के संज्ञान में नहीं आना विश्वासनीय नहीं। विमुक्ति आदेश पर संयुक्त हस्ताक्षर होता है तथा इसके पूर्व जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम तथा Procurement Officer का गोदाम का संयुक्त रूप से भौतिक सत्यापन होता है। सी०एम०आर० प्रभारी द्वारा 60,753.40 क्विंटल अनाज के उठाव की गलत सूचना दिये जाने के बावजूद संज्ञान में नहीं आना , स्पष्ट करता है कि सी०एम०आर०प्रभारी द्वारा गोदाम निरीक्षण/प्रतिवेदन की समीक्षा नहीं की गई। साथ ही साथ अपने पत्रांक–2856, दिनांक–04.11.2015 द्वारा उप प्रमुख वित्त, मुख्यालय पटना को विकास एग्रो इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, हरनौत के द्वारा वर्ष 2014–15 के

अन्तर्गत प्राप्त किये गये धान के विरूद्ध शत–प्रतिशत सी०एम०आर० प्राप्त कर लिया गया है और उनके यहाँ कोई बकाया नहीं है, से संबंधित सूचना दी गई। उनके द्वारा परिवहन अभिकर्त्ता के विपत्रों के भुगतान का प्रमाण पत्र भी दिया गया है। विभाग से उपयोगिता प्रमाण पत्र माँगे जाने पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा समीक्षा के क्रम में गड़बड़ी पाये जाने पर चेरो थाना कांड संख्या–245/16 एवं नीलाम पत्र वाद संख्या–3/16–17 भी दर्ज कराया गया। अपने उत्तर में जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, नालंदा द्वारा एक ही पत्रांक–2856 दिनांक–04.11.2015 का उल्लेख किया गया है, में विषय तथा Content अलग–अलग है। निर्गत की तिथि –04.11.2015 दर्ज है। अतः उत्तर भेजने में भी पत्रांक और दिनांक का ध्यान नहीं रखा गया है।

श्री अनमेष गुंजन राव, कार्यपालक सहायक–सह–गोदाम प्रभारी, खरूआरा, हरनौत एवं अरौत(चण्डी) के प्रभार में कार्यरत होने के संबंध में बताया गया कि उन्हें पूर्व जिला प्रबंधक श्री मनोज कुमार सिंह के द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया था, जबकि कार्यपालक सहायक गोदाम प्रभारी बनाने का नियम नहीं है। जब नियम नहीं है तो जिला प्रबंधक के रूप में योगदान देने के उपरांत उनके स्थान पर नियमानुसार गोदाम प्रभारी किसी अन्य को बना देना चाहिए था, जो श्री परवेज आलम द्वारा नहीं किया गया और उसी से गोदाम प्रभारी का कार्य कराये जाता रहा। यह कार्य भी संदेहास्पद प्रतीत होता है। श्री अनिमेष गुंजन राव के द्वारा कार्यपालक सहायक–सह–गोदाम प्रभारी के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के आधार पर ही बिना जाँच किये मुख्यालय को प्रतिवेदन भेजा जाता रहा। जबकि वास्तविकता यह थी कि श्री रंजीत कुमार, प्रो० मेसर्स विकास एग्रो इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड ताड़ा पर, अरौत(चण्ड़ी) द्वारा कार्यपालक सहायक–सह–गोदाम प्रभारी, खरूआरा, हरनौत पर अधिप्रप्ति वर्ष 2014–15 में दिनांक 07.04.2015 से मात्र (लगभग) 18000 क्विंटल चावल का गोदाम में जाँच किया परन्तु उन्होंने (रंजीत कुमार ने) दबाव बनाकर उनसे कुल 88809 क्विंटल चावल दिनांक–25.08.2015 तक लगातार आगत रजिस्टर में उनसे प्राप्ति दिखाया गया। अनिमेष कुमार, कार्यपालक सहायक–सह–गोदाम प्रभारी द्वारा बार–बार अनुरोध किये जाने पर 37000 क्विंटल एवं 5,573 क्विंटल कुल –42,573 क्विंटल सी०एम०आर० श्री रंजीत कुमार द्वारा जमा किया गया । उक्त मिलर द्वारा 28236.48 क्विंटल सी०एम०आर० जमा नहीं किया गया, जिसकी राशि 8,64,88,093/–(आठ करोड़ चौसठ लाख अठासी हजार तिरानवे रूपये मात्र) होती है। इस संबंध में हरनौत (चेरो) थाना कांड संख्या–245/16 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। साथ ही श्री रंजीत कुमार, मिलर के द्वारा जमानत के लिए जिला न्यायालय में Misc- BP. -1068/16 दर्ज कर जमानत की मांग की गई। जिला न्यायालय द्वारा सुनवाई के उपरांत इस शर्त्त के साथ रंजीत कुमार प्रो० मेसर्स विकास एग्रो इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड ताड़ापर, अरौत एवं शिव शक्ति राईस मिल, दीपनगर की जमानत स्वीकार की गयी कि सी०एम०आर० (चावल) गवन की कुल राशि 8,64,88,093.20 रूपये 12 (बारह) किस्तों में प्रति माह, राज्य खाद्य निगम, नालंदा के खाते में जमा करनी है। एक भी किस्त जमा नहीं की जाती है तो जमानत रद्द हो जाएगी। फलस्वरूप यह मामला श्री परवेज आलम के जिला प्रबंधक का प्रभार लेने से पूर्व का है।

<u>आरोप संख्या–03 –</u> आरोपी कर्मी के स्पष्टीकरण एवं उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य से यह स्पष्ट है कि सी०एम०आर० गोदाम, खरूआरा (हरनौत) में 28,236.40 क्विंटल चावल का गवन हुआ है जिसकी कीमत लगभग 8,64,88,093.20/–रूपये आकलन की गयी है।

गोदाम की क्षमता 16,920 क्विंटल होने के बावजूद उसमें दिनांक–01.08.2015 को 62,418.63 क्विंटल चावल भंडारित था, जो क्षमता से लगभग 350% से अधिक था। परन्तु आरोपी श्री आलम

दिनांक–26.08.2015 को इस जिला में योगदान दिया एवं पूर्व जिला प्रबंधक, श्री मनोज कुमार सिंह से प्रभार लिया। क्षमता से अधिक चावल पूर्व जिला प्रबंधक, श्री मनोज कुमार सिंह के समय से ही भंडारित चला आ रहा है।

इस संबंध में खरूआरा (हरनौत) गोदाम से गवन के मामले में पूर्व जिला प्रबंधक, श्री मनोज कुमार सिंह एवं सी०एम०आर० प्रभारी श्री अमिनेष गुंजन राव को दोषी मानते हुए राज्य खाद्य निगम द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इस प्रकार आरोपी श्री आलम का गवन के मामले में कोई संलिप्तता प्रतीत नहीं होती है।

जहॉ तक चावल विमुक्ति आदेश निर्गत करने का मामला है उसके लिए वरीय उप समाहर्त्ता, श्री रविन्द्र राम को जिला पदाधिकारी, नालंदा द्वारा अधिकृत किया गया था एवं उनके द्वारा ही विमुक्ति आदेश निर्गत किया गया है। परन्तु विमुक्ति आदेश निर्गत करने के पूर्व गोदामों का भौतिक सत्यापन किया जाना आवश्यक है, जो जिला प्रबंधक श्री आलम एवं वरीय उप समाहर्त्ता श्री रविन्द्र राम के द्वारा नहीं किया गया प्रतीत होता है।

इस प्रकार आरोपी श्री आलम के द्वारा भौतिक निरीक्षण, प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में उदासीनता बरती गयी है एवं निर्धारित प्रपत्र में जॉच किये बिना ही जिला पदाधिकारी एवं निगम मुख्यालय को प्रतिवेदन समर्पित किया जाता रहा , जिसके कारण इतनी बड़ी अनियमितता उजागर हुई।

<u>आरोप संख्या–(04) पूरक आरोप पत्र :–</u> आरोपी कर्मी श्री परवेज आलम के स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि राज्य भंडार निगम, बिहारशरीफ में गोदाम संख्या–1 से 4 तक की जॉच दिनांक–28.06.2017 को जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, नालंदा द्वारा की गई एवं गोदाम में 16,768.50 क्विंटल चावल कम पाकर श्री रंजीत कुमार, गोदाम प्रबंधक, राज्य भंडार निगम, बिहारशरीफ के विरूद्ध विभागीय नियम के आलोक में कारण पृच्छा करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव दिया गया।

जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, नालंदा से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (सदर), बिहारशरीफ तथा पुलिस अधीक्षक, नालंदा से प्राप्त प्रतिवेदन के गहन अध्ययन के उपरांत प्राथमिक अभियुक्त (1) रंजीत कुमार, अधीक्षक, राज्य भंडार निगम, बिहारशरीफ (नालंदा) एवं (2) अभय कुमार, कार्यपालक सहायक, राज्य भंडार निगम, बिहारशरीफ के विरूद्ध मामला सत्य पाया गया । साथ ही श्री दिनेश कुमार, पिता–स्व० रघुनन्दन प्रसाद, साकिन–सकतपुर, थाना– बिन्द, जिला–नालंदा (बाजार समिति में गद्दी संख्या–11 है) से मिलीभगत होने के कारण गोदाम अधीक्षक, रंजीत कुमार द्वारा भौतिक रूप से चावल न जमा कर पैसा लेकर कागज पर ही चावल का हस्तान्तरण कर लिया जाता था और जब चावल की कीमत बाजार में घटती थी तो चावल जमा किया जाता था। जॉच में यह भी पता चला कि रंजीत कुमार प्रति क्विंटल चावल में 200/–रूपये लेते थे। उसी क्रम में सत्यापन के क्रम में चावल कम पाया गया। इतने बड़े पैमाने पर यह कार्य किया जा रहा था, इसकी जानकारी तो जिला प्रबंधक को भी अवश्य होगी। क्योंकि बिना मिलीभगत के गोदाम अधीक्षक द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जाना सत्य से परे परिलक्षित होता है।

अतः उक्त मामले में श्री परवेज आलम, तत्कालीन जिला प्रबधंक, राज्य खाद्य निगम, नालंदा की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है ।

4. अपर समाहर्त्ता, नालंदा –सह–संचालन पदाधिकारी के समर्पित जॉच प्रतिवेदन पर निदेशालय के पत्रांक–1479 दिनांक–02.07.2020 द्वारा श्री परवेज आलम से अभ्योवदन की मॉग की गयी। श्री आलम ने समर्पित अपने अभ्यावेदन में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया है :–

i. **आरोप संख्या–01** :– दिनांक 24.06.2016 को राज्य खाद्य निगम के गोदाम इकसार, बेन से तीन ट्रक सी०एम०आर० (चावल) लेकर राज्य खाद्य निगम, गिरियक गोदाम के लिए सी०एम०आर० प्रभारी श्री रामानुज प्रसाद,

प्रखंड कृषि पदाधिकारी, बेन द्वारा भेजा गया। उसी दिन परवलपुर थाना प्रभारी को रात्रि 10.00 बजे सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी, परवलपुर के द्वारा तीनों ट्रक को जब्त कर थाना लाया गया।

उन्हें लगभग रात्रि 10 बजे अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा के द्वारा दूरभाष पर इस संबंध में सूचित किया गया जिसके आलोक में उन्होंने अविलंब सी०एम०आर० प्रभारी श्री रामानुज प्रसाद , प्रखंड कृषि पदाधिकारी, बेन को विधिसम्मत कार्रवाई का निर्देश देते हुए पुनः कार्यालय पत्रांक–756 दिनांक–25.06.2016 से स्पष्ट निर्देश देते हुए कृत कार्रवाई की सूचना देने का निर्देश दिया गया। उक्त निर्देश के उपरान्त सी०एम०आर० प्रभारी श्री रामानुज प्रसाद, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, बेन के द्वारा सूचित किया गया कि उनके द्वारा कुल सी०एम०आर० (चावल) संबंधित गोदाम गिरियक द्वारा पूर्ण मात्रा में प्राप्त कर लिया गया है एवं दिनांक–26.06.2016 को परवलपुर थाना कांड सं०– 84/2016 दर्ज कर दी गयी है।

कालाबाजारी के प्रयास से संबंधित सी०एम०आर० (चावल) गंतव्य गोदाम गिरियक द्वारा पूर्ण मात्रा में प्राप्त कर लिया गया है एवं उनके निदेश के आलोक में एफ०आई०आर० भी दर्ज करा दी गई। यदि जब्त ट्रक थाना प्रभारी द्वारा छोड़ दिया गया था एवं पुनः एफ०आई०आर० दर्ज के बाद ट्रक को पुनः थाना प्रभारी द्वारा जब्त किया गया तो यह आरोप उनके विरूद्ध किसी भी तरह से सत्य प्रतीत नहीं होता है तथा साक्ष्य एवं नियम के विरूद्ध है। उन्हें प्रताड़ित करने के उद्देश्य से घटना के एक वर्ष बाद उनके विरूद्ध दिनांक–03.05.2017 को प्रपत्र 'क' गठित किया गया।

ii. <u>आरोप सं० 02 एवं 03</u> :– आरोप सं० 03 में उनके विरूद्ध जो आरोप है वह आरोप संख्या–02 से ही संबंधित है जबकि आरोप संख्या–02 में उन्हें आरोप से मुक्त किया गया है। उक्त गबन उनके पदस्थापन काल से पूर्व तत्कालीन जिला प्रबंधक श्री मनोज कुमार सिंह के समय का है एवं उनके द्वारा ही कुल सी०एम०आर० (चावल) प्राप्तकर भंडारित पंजी में संधारित करवाकर निगम मुख्यालय, पटना को सूचित किया गया था। इस कार्य में श्री मनोज कुमार सिंह , तत्कालीन जिला प्रबंधक , नालंदा एवं श्री अनिमेष गुंजन राव,प्रभारी गोदाम प्रबंधक (सी०एम०आर०) को दोषी मानते हुए निगम मुख्यालय, राज्य खाद्य निगम, पटना के क्रमशः आदेश ज्ञापांक–411 दिनांक–13.01.2018 एवं 11796 दिनांक–23.09.2016 द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

उनके पदस्थापन (26.08.2015) के बाद वे अपने पर्यवेक्षण के क्रम में पाये कि उक्त गबन से संबंधित सी०एम०आर०(चावल), मिलर श्री रंजीत कुमार के द्वारा एस०एफ०सी गोदाम प्रभारी श्री अनिमेष गुंजन राव को बिना हस्तगत कराये हुए प्राप्ति रसीद ले लिया जैसा कि श्री अनिमेष गुंजन राव ने दिनांक– 01.09.2016 को अपने स्पष्टीकरण में लिखित रूप में प्रतिवेदित किया है।

उनके प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षण कार्य के दरम्यान पाये गये गबन के लिए अविलंब उनके द्वारा चेरो थाना कांड सं०–245/2016 दर्ज करते हुए एवं उक्त गबन की राशि की वसूली हेतु नीलाम वाद सं०–3/2016–17 दर्ज करते हुए कार्यालय पत्रांक–1035 दिनांक–08.09.2016 एवं 1194 दिनांक–19.10.2016 द्वारा निगम मुख्यालय, पटना को सूचित किया गया जिसके फलस्वरूप प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य निगम, बिहार, पटना के द्वारा वरीय अधिवक्ता को जिला न्यायालय, बिहारशरीफ में मिलर के द्वारा दर्ज जमानतवाद का विरोध करने हेतु भेजा गया। वरीय अधिवक्ता के विरोध के बाद जिला न्यायालय, बिहारशरीफ द्वारा Cr.Misc.B.P.No: 1068/2011 में आदेश दिनांक–11.11.2016 एवं आदेश दिनांक–15.07.2017 को स्पष्ट निदेश /आदेश पारित करते हुए मिलर को 12 माह के अन्दर कुल गबन की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया।

उक्त कार्य उनके पर्यवेक्षण एवं प्रशासनिक कार्य के आधार पर ही हुआ है जिसे संचालन पदाधिकारी के द्वारा स्वीकार करते हुए आरोप सं०–02 से मुक्त किया गया,परन्तु आरोप सं०–03 जो आरोप सं०–02 से संबंधित है, में उनके विरूद्ध कार्य में उदासीनता बरतने का आरोप स्वीकार किया गया है जो अनुचित एवं न्याय के विरूद्ध है।

<u>पूरक आरोप सं०–04</u> :– यह घटना उनके पदस्थापन काल के बाद का है क्योंकि उन्हें निगम की सेवा से पैतृक विभाग में ज्ञापांक–3664 दिनांक –20.04.2017 के द्वारा वापस कर दिया गया एवं वे दिनांक–24.04.2017 को पूर्ण प्रभार समर्पित कर दिये। उक्त आरोप दिनांक–28.06.2017 को उनके विरिमित होने के लगभग 02 माह बाद की है एवं संबंधित गोदाम में जॉच के क्रम में भंडारित चावल की मात्रा में कमी पाये जाने पर गोदाम प्रभारी श्री रंजीत कुमार के विरूद्ध लहेरी थाना कांड संख्या–279/2017 दर्ज किया गया।

दिनांक–27.03.2017 को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहारशरीफ के द्वारा राज्य भंडार निगम के उक्त गोदामों का भौतिक सत्यापन उनकी उपस्थिति में किया गया था जिसमें दिये गये प्रतिवेदन में संतोष प्रकट किया गया। इससे स्पष्ट है कि उनके कार्याकाल में उक्त गोदाम में सी०एम०आर० (चावल) की कोई कमी नहीं पायी गई।

यह आरोप न तो उनके पदस्थापन काल का है और न ही उनके विरूद्ध कोई गबन का आरोप है। उनके विरमित होने के लगभग 02 माह बाद यह घटना घटित हुई एवं अरोपी गोदाम प्रभारी के विरूद्ध एफ०आई०आर० दर्ज किया गया है। इसलिए संचालन पदाधिकारी के द्वारा आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया परन्तु संचालन पदाधिकारी द्वारा मंतव्य दिया गया कि श्री आलम की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है जो कि तथ्यों, साक्ष्यों एवं नियम के विरूद्ध है ।

5. श्री परवेज आलम द्वारा अपने अभ्यावेदन में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो इनके द्वारा समर्पित अपने स्पष्टीकरण में संचालन पदाधिकारी को कहा गया था । इनके द्वारा किसी नये तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है। अतएव इनका अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

अपर समाहर्त्ता(विभागीय जाँच), पटना–सह–संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री परवेज आलम, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, नालंदा संप्रति सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, पटना को आरोप संख्या–1 , आरोप संख्या–3 एवं पूरक आरोप आरोप संख्या–4 में दोषी माना जाता है।

6. उक्त आरोप के बिन्दु में दोषी तथा श्री परवेज आलम द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री परवेज आलम पर संचयी प्रभाव के साथ 2 (दो) वेतनवृद्धि पर रोक लगाने का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

7. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री परवेज आलम, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, नालंदा संप्रति सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, पटना पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग–5 के नियम–14 में वृहत शास्तियों के तहत उप नियम –VI के अन्तर्गत संचयी प्रभाव के साथ 2 (दो) वेतनवृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

निदेशाालय के का०आ०सं०–84 सहपठित ज्ञापांक–504 दिनांक–22.02.2018 द्वारा श्री परवेज आलम के विरूद्ध परवलपुर(नालंदा) थाना कांड संख्या–78/2017 दिनांक–09.05.2017 धारा 409/04 भा०द०वि० तथा का०आ०सं०–361 सहपठित ज्ञापांक–2477 दिनांक–12.12.2018 द्वारा श्री परवेज आलम के विरूद्ध

हरनौत(चेरो) थाना कांड संख्या–245/2016 दिनांक–05.09.2016 धारा 406/409/420/ 120(बी) भा०द०वि० में अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त दोनों कांड के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये न्याय निर्णय से विभागीय कार्यवाही में लिया गया निर्णय प्रभावित होगा।

ह०/–

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक

ज्ञापांक :– स्था०1/आ०2–11/2017 2025 पटना, दिनांक : 14-10-2020

प्रतिलिपि :–सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, नालंदा को उनके पत्रांक–2812/गो० दिनांक–03.05.2017 एवं पत्रांक– 4344/गो० दिनांक–10.07.2017के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. जिला कोषागार पदाधिकारी, नालंदा/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, नालंदा/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर , योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री परवेज आलम, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, नालंदा संप्रति सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 14/10

0181 स्था० 1(का०आ०) (16 सितंबर 2020)परवेज आलम.